# न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–103/2011 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री भैरू लाल पिता गौरीलाल जी उपाध्याय ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (फौत)
2. रेखा पत्नी कैलाश जी उपाध्याय ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नारायणलाल पिता कैलाश जी उपाध्याय ब्राहम्ण उम्र 6 वर्ष नाबालिग जरिये माता रेखा पत्नी कैलाश जी उपाध्याय ब्राहम्ण निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. नंदलाल पिता छोगालाल मुछाला ब्राहम्ण उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा

– अप्रार्थीगण

**वदपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 – 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**
**घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत**
**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम**

उपस्थित अधिवक्तागण–

1. श्री भैरू लाल बाफनाः प्रार्थी
2. श्री श्याम लाल आगालः अप्रार्थी संख्या 01

दिनांकः–17/6/2025

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भैरू लाल जी बापना द्वारा दिनांक 24.02.2011 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 103/2011 पर दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण का सजरा निम्नानुसार है–

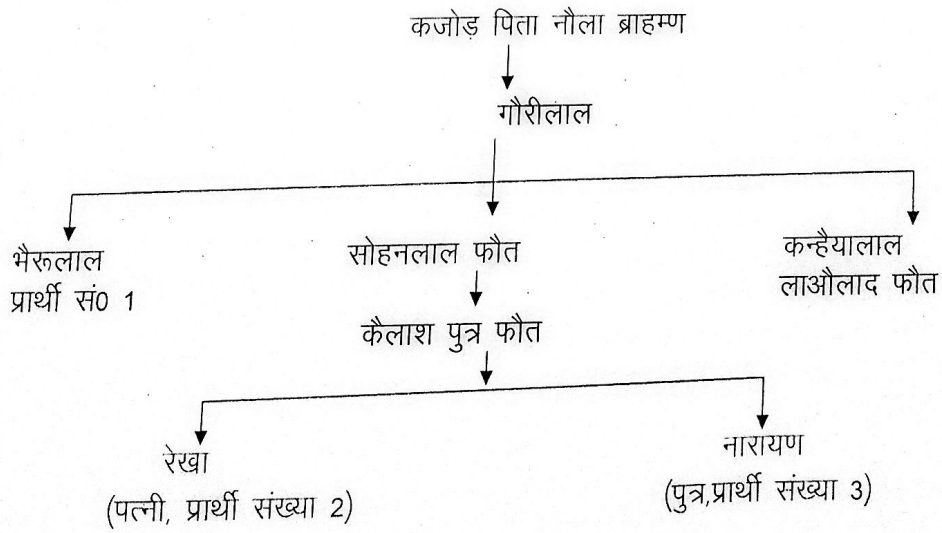


17/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षी संख्या 01 का सजरा निम्न है--

कजोड़ पिता नौला ब्राहम्ण

↓

प्यारी बेवा कजोड़ मुछाला फौत

↓

नंदलाल पिता छोगालाल

(नजदीकी वारिस)

प्रार्थीगण के पूर्वज श्री कजोड़ पिता नौला जी के नाम पर जमाबंदी महकमा बंदोबस्त संवत् 1985 में साबिक आराजी नं. 2654/1 रकबा 3 बाघा 7 बिस्वा भूमि स्थित थी। यह भूमि ग्राम पुर से पूर्वी दक्षिणी दिशा में कुम्हारिया खेड़ा के रास्ते पर पुर से करीब 1 एक किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इस भूमि पर प्रार्थीगण के पूर्वजों का और उनके बाद प्रार्थीगण का अधिकार आधिपत्य चला आ रहा है। प्रार्थीगण की इस भूमि के पास खेमराज भैरू जी नामी देवता का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के पास प्रार्थीगण ने अपनी भूमि में से कुछ जमीन सराय के लिये दे रखी है। इस भूमि पर प्रार्थीगण की एक कुई भी बनी हुई है।

विपक्षी के पूर्वज कजोड़ पिता नौला जी मुछाला ब्राह्मण के नाम की भूमि ग्राम पुर से करीब 2 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में ग्राम बलिया खेड़ा के पास में स्थित है। विपक्षी के पूर्वजों की भूमि व हमारी भूमि के मध्य करीब 3 किलोमीटर की दूरी होकर एक दूसरे से विपरीत दिशा में है।

नवीन बंदोबस्त होने पर हमारी उक्त साबिक आराजी नं. 2654/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के नवीन नंबर 4273 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कायम किये गये जो खसरा भूप्रबंध में हमारे नाम अर्थात् भैरूलाल सोहनलाल कन्हैयालाल ब्राह्मण के नाम पर दर्ज किया गया जिसे बदर पर्चा से. 90 कायम करके भैरूलाल, सोहनलाल कन्हैयालाल पिता गौरीलाल का नाम हटाकर मु0 प्यारी बेवा कजोड़ ब्राह्मण के नाम पर यह नवीन आराजी नं. 4273 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा दर्ज कर दी गयी और श्रीमती प्यारी का देहान्त होने पर विपक्षी सं. 1 के नाम पर संवत् 2057 से 2060 की जमाबंदी में दर्ज कर दी गयी। बाद की जमाबंदी संवत् 2065 से 2068 में इस आराजी नं. 4273 का रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा ही दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 के पूर्वजों का नाम समान होने के कारण सेटलमेंट विभाग द्वारा भूलवश वर्तमान आराजी नं. 4273 को विपक्षी सं. 1 एक के नाम पर दर्ज कर दिया गया है जबकि ग्राम पुर के सभी मुछाला ब्राह्मणों की कोई भी जमीन ग्राम पुर से दक्षिण पूर्व दिशा में कुम्हारिया खेड़ा के पास स्थित नहीं है। यहां पर केवल पुर के उपाध्याय ब्राह्मणों की भूमि ही है। पुर के मुछाला ब्राहाणों ग्राम पुर से पश्चिम दिशा में बलिया खेड़ा के आस--पास ही स्थित है।

साबिक आराजी नं. 2654/1 जिसके कि वर्तमान आराजी नं. 4273 दर्ज हुए है उस पर हमारे पूर्वजों व हमारा ही कब्जा गत 100 वर्षों से भी अधिक समय से आज पर्यन्त चला आ रहा है। इस आराजी नं. 4273 के पास ही हमारे खातेदारी की अन्य आराजी नं. 9504/4273 रकबा 9 बिस्वा भूमि स्थित है जो खेमराज भैरू जी के देवस्थान से लगी हुई है। इस भूमि पर हम प्रार्थीगण ही निरंतर काश्त करते आ रहे हैं और वर्तमान में इस भूमि पर हमारी सरसड़े की फसल खड़ी हुई है । विपक्षी सं. 1 व उसके पूर्वजों का आराजी नं. 4273 पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति में घोषणात्मक डिक्री द्वारा आराजी नं. 4273 जिसका कि वर्तमान रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा है उसका प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा यह भूमि विपक्षी सं. 1 के खाते से हटायी जाकर राजस्व अभिलेख में हम प्रार्थीगण के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करायी जावे ।

उक्त साबिक आराजी नं. 2654/1 जिसके कि वर्तमान आराजी नं. 4273 कायम किये गये हैं उस पर 100 वर्षों से अधिक समय से हमारे पूर्वजों व हमारा शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी सं. 1 एक व उसके पूर्वजों का इस भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है इस कारण से कब्जा मुखालपाना के सिद्धान्तानुसार भी इस आराजी नं. 4273 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के खातेदार काश्तकार हम प्रार्थीगण हो गये हैं इस आशय की घोषणात्मक डिक्री हम प्रार्थीगण के पक्ष में पारित कराया जाना आवश्यक है ।

17/6/25

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

बंदोबस्त विभाग की भूल व गलती से नवीन आराजी नं. 4273 पहले प्यारी बेवा कजोड़ मुछाला ब्राह्मण के नाम पर दर्ज कर दी गयी और वर्तमान में यह आराजी विपक्षी सं. 1 के नाम पर विरासत से दर्ज हो गयी है जिसका नाजायज लाभ उठाने के उद्देश्य से विपक्षी सं. 1 इस आराजी को खुर्द–बुर्द अंतरित करने और इस भूमि में हमारे कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप कर हमें बेदखल करने पर आमादा है जिससे विपक्षीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित कराया जाना आवश्यक है कि वे प्रार्थीगण को इस भूमि से बेदखल नहीं करे और प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे कोई भी हस्तक्षेप न तो स्वयं करे न अन्य से करावे और इस भूमि को किसी भी माध्यम से खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित नहीं करे ।

अगर विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश से पाबंद नहीं किया गया तो वह उक्त वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द अंतरित कर देगा व प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप करेगा व इस भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल कर देगा जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी एवं प्रार्थीगण का वाद पेश करना ही व्यर्थ हो जायेगा और अनेक प्रकार की मुकदमेंबाजी बढ़ जायेगी ।

अतः प्रार्थना है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षी सं. 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वह ग्राम पुर की वर्तमान आराजी नं. 4273 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा को किसी भी भांति खुर्द–बुर्द अन्तरित व भारित नहीं करे व इस भूमि से प्रार्थीगण को न तो स्वयं बेदखल करे न अन्य से करावे व प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे ।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से दिनांक 18.07.2011 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रार्थीगण ने जो सजरा बनाया है वो सजरा अपूर्ण मोगम अस्पष्ट व भ्रामक है। कजोड़ जी गोरीलाल, सोहनलाल व कैलाश की मृत्यु कब हुई इसका अंकन नहीं किया गया है। कजोड़ पिता नोलाजी ब्राहम्ण जवाबदार विपक्षीगण के पूर्वज थे।

प्रार्थना पत्र में अंकित आराजी विपक्षी के मिल्कियत अधिकार व कब्जे की है व जवाबदार विपक्षी ही काश्तकार है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्य अंकित किये है।

वादग्रस्त भूमि ही प्रतिवादी व उनके पूर्वजों की है। प्रार्थीगण जानबूझकर नाजायजतौर लाभ कमाने की गरज से झूठा सजरा बनाकर पेश किया है। प्रार्थीगण विपक्षी की कब्जे काश्त की व खातेदारी अधिकार की आराजी हडपना चाहते है। इस कारण गलत तथ्य अंकित कर यह प्रार्थनापत्र पेश किया है।

विपक्षी के नाम पर सही तौर वादग्रस्त आराजी दर्ज की गयी है। जवाबदार विपक्षी आराजी नम्बर हाल 4273 का विपक्षी खातेदार कृषक होकर काबिज है व वादग्रस्त भूमि का रकबा 2.19 बीघा है। सेटलमेंट विभाग वालों ने जवाबदार विपक्षी या उनके पूर्वजों का नाम गलत तौर अंकित नहीं किया है जबकि सही तौर अंकन किया हुआ है।

आराजी नम्बर 4273 ग्राम पुर के विपक्षी खातेदार काश्तकार है व कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थीगण का कोई कब्जा वादग्रस्त आराजीयात पर नहीं है न प्रार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा ही रहा है। 100 बरसों से कब्जा होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में मनगढन्त तथ्य अंकित किये है। प्रार्थीगण आराजी नम्बर 4273 का रकबा दो बीघा 19 बिस्वा के खातेदार नहीं है। न इस अमर की कोई घोषणत्मक डिक्री ही पाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण उक्त भूमि को अपने नाम पर अंकित कराने के अधिकारी भी नहीं है।

प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का कभी भी वादग्रस्त आराजी नम्बर 4273 व इसके साबिक नम्बर 2654/1 पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। इस कारण कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार काश्तकार होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इस अमर की घोषणा प्रार्थीगण कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण एक ओर तो अपने जायज हक के लिए कब्जे की मांग करता है और दूसरी ओर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बनना चाहता है। दोनो तथ्य विरोधाभाषी है इस कारण भी प्रार्थीगण का वाद बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरस्थी का खारीज होने योग्य है।

सेटलमेंट विभाग वालों ने कोई गलती कारित नहीं की। सही तौर पर प्यारी बेवा कजोड़ का नाम अंकित हुआ। उसके बाद विपक्षी का नाम विरासत से दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण का कोई कब्जा व दखाल वादग्रस्त आराजीयात पर नहीं है, न कभी रहा ही है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा पाने के कतई अधिकारी नहीं है।

प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन का बिन्दु ही उनके पक्ष में है। प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति नहीं है। प्रार्थीगण ने एकदम झूठे तथ्य अंकित कर यह प्रार्थनापत्र व वादपत्र पेश किया है।

17/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

## मजीद कथन

विपक्षी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजी नम्बर 4273 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा पर काबिज है। मुझ विपक्षी का प्राइमाफेसी केस है, सुविधा का संतुलन भी विपक्षी के पक्ष में है। प्रार्थीगण धनबुल व भुजबल के आधार पर कब्जाकर लेगे तो जवाबदार विपक्षी अपने जायज हक से वंचित हो जावेगा व जवाबदार विपक्षी को भारी असहनीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं होगी। मामला अचल संपत्ति से संबंधित है। मुकदमे के निस्तारण में समय लगेगा। जवाबदार विपक्षी तो खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण यदि विपक्षी से कब्जा छीन लेंगे या कब्जे काश्त में बेजा मदाखलत करेंगे तो विपक्षी अपने जायज हको से वंचित हो जावेगा। इस कारण प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वे आराजी नम्बर 4273 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में मुझ विपक्षी के कब्जे काश्त में कोई दखल न दे व न अन्य से दखल करावे। इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रार्थीगण को पाबंद करावें।

प्रार्थीगण का प्राइमाफेसी केस नहीं है, न सुविधा संतुलन का बिन्दु ही उनके पक्ष में है व न प्रार्थीगण को कोई अपरिमित हानि ही है। प्रार्थीगण न्यायालय में क्लीनहैण्ड से नहीं आया है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र समेत खर्चा खारिज होने योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली में उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सम्यक रूप से निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित 3 बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक हैः—

1. प्रथम दृष्टया मामलाः—

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पुर की सम्वत् 1985 की जमाबन्दी में आराजी संख्या 2654/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि कजोड़मल पुत्र नोला ब्राहम्ण के नाम दर्ज थी। जिसके हाल आराजी नम्बर 4273 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा दर्ज हुए है। साबिक आराजी नम्बर 2654/1 से निर्मित एक अन्य हाल आराजी नम्बर 8504/4273 रकबा 9 बिस्वा वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। जबकि भूप्रबन्ध बन्दोबस्त के दौरान बदर पर्चा संख्या 90 से वादग्रस्त आराजी नम्बर 4273 से भैरू लाल, सोहन लाल, कन्हैयालाल पिता गौरी लाल कोम ब्राहम्ण के नाम को हटाया जाकर मुसम्मात प्यारी बेवा कजोड़ ब्राहम्ण के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा परिशोधन संख्या 360 से प्रतिवादी के पूर्वज नाम दर्ज की गई। जिसकी प्रति वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस पेश की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि कजोड़ वल्द नोला ब्राहम्ण नाम से ग्राम पुर में दो व्यक्ति थे, जिसमें वादी गुर्जर गौड़ ब्राहम्ण एवं प्रतिवादी मुछाला ब्राहम्ण है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज का नाम वल्दीयत एवं जाति समान होने से प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी को अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर से दक्षिण—पूर्वी दिशा में 1 किलोमीटर दूरी पर मजरा कुम्हारिया खेड़ा के पास अवस्थित है। जबकि प्रतिवादी की भूमि ग्राम पुर के पश्चिम दिशा में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बलिया खेड़ा मजरा के पास अवस्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की भूमि ग्राम पुर की विपरीत दिशा में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इस प्रकार भू—प्रबन्ध बन्दोबस्त के दौरान बिना किसी आधार के फर्द बदर संख्या 90 व खसरा परिशोधन संख्या 360 में बिना किसी आधार के प्रार्थीगण का नाम विलोपित किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज कर दी गई। जिसे पुनः वादीगण के नाम दर्ज कराये जाने हेतु वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया। भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आधार के उक्त कार्यवाही किये जाने से प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिकुल कब्जा एवं स्वयं की खातेदारी भूमि होने के आधार पर दावा पेश किया गया है। इस प्रकार वादी के द्वारा किस आधार पर खातेदारी चाही जा रही है, स्पष्ट नहीं है। वादी क्लीन हैंड से न्यायाल के समक्ष नहीं आया है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता है।

17/1/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमि
ादीगण की खातेदारी भूमि से कम की जाकर प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गई है। उसका कोई आधार
फर्द बदर संख्या 90 एवं खसरा परिशोधन संख्या 360 में अंकित नहीं किया गया है। जिससे प्रार्थी के
पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होता है।

**2. सुविधा का संतुलन एवं 3. अपूरणीय क्षति–**

उक्त दोनों बिन्दुओं का पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण
निस्तारण किये जाने हेतु सम्यक रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि यदि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण जरिये बय बेचान, रहन, बक्षीश कर दी जाती है तो नवीन वादकारण उत्पन्न होंगे और वाद विवाद बढ़ने की पूर्ण सम्भावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.02.2011 को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किये जाने का आदेश जारी किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में से प्रतिवादी द्वारा 2 बिस्वा भूमि का बेचान श्रीमती सरला पुरोहित पत्नी श्री मोहनचन्द पुरोहित के पक्ष में रास्ते के उपयोग हेतु निष्पादित की जा चुकी है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को मूल वाद की पत्रावली पर रिकॉर्ड में लिये जाने हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1 (3) जाब्ता दीवानी का पेश किया गया है। उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र में गवाह के रूप में वादी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी की खातेदारी आराजी भूमि है। अतः प्रार्थी के पक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से
आंशिक हिस्से का विक्रय दीगर व्यक्ति के पक्ष में कर दिया गया है। भले ही उसमें वादी की सहमति
रही हो परन्तु उक्त बेचान न्यायालय की अनुमति ली जाकर किये जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली में
उपलब्ध नहीं है। अतः यदि वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण कर दिया
जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। इससे
प्रार्थी अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति के बिन्दु को प्रमाणित करने में सफल रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया
मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रहा है।
इसके अतिरिक्त वर्तमान में मूल वाद की पत्रावली साक्ष्य वादी की स्टेज पर है और निर्णय के निकट
स्थिति में है। न्यायालय का यह दायित्व है कि वादग्रस्त भूमि का दौराने वाद अंतरण नहीं होने दे तथा
नवीन वादकारण को रोकने हेतु उचित कार्यवाही करे। न्यायालय के द्वारा उक्त विधिक दायित्व की पूर्ति
किये जाने हेतु प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.02.2011 को मूल
वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएवं

**–: आदेश :–**

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार
किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 25.02.2011 को
मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 को मूल वाद के निस्तारण
तक वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद्ध किया जाता है। अप्रार्थी
संख्या 2 को उक्त आदेश में किसी पक्षकार के मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान के नाम हिन्दू
उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जरिये विरासत नामान्तरण दर्ज करने हेतु छूट दी जाती है अर्थात्
उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

17/6/25

(सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा